

समाज कल्याण विभाग  
दिल्ली सरकार  
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या:-241  
प्रश्न कर्ता - श्री विजेन्द्र गुप्ता  
दिनांक:-09.08.2018

पत्रांक संख्या:-

दिनांक

विधान सभा न० - 241

प्रश्न सं	प्रश्न	उत्तर
क.	दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे आशा किरण में मंद बुद्धि बच्चों के लिए कितनी क्षमता है ?	आशा किरण परिसर में मंद बुद्धि बच्चों को रखने की क्षमता 272 है तथा मंद बुद्धि वयस्कों को रखने की क्षमता 238 है। कुल क्षमता 510 है।
ख.	इस समय कितने बच्चे इस केन्द्र में रखे जा रहे हैं ?	वर्तमान में कुल 373 बच्चे व 683 वयस्क इस परिसर में रह रहे हैं।
ग.	क्या कारण है कि इस केन्द्र में क्षमता से अधिक बच्चे रखे जा रहे हैं ?	दिल्ली के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों से भी मानसिक रूप से विकलांग बच्चे एवं वयस्क दिल्ली में आ जाते हैं/दिल्ली की सड़कों पर छोड़े जाते हैं। ऐसे बच्चों और वयस्क माननीय बाल कल्याण समिति एवं न्यायालय के आदेशानुसार संस्था में प्रवेश पाते हैं। अतः उन्हें रखने से मना नहीं किया जा सकता है।
घ.	क्या अधिक क्षमता के अनुरूप स्टॉफ और बजट में भी वृद्धि की गई ?	हाँ, बजट में वृद्धि हुई है और सृजित पदों पर स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
ङ.	यदि हाँ, तो कितनी ?	(i) सन् 2013-14 में बजट 11.72 करोड़ था जो कि अब बढ़कर सन् 2017-18 में बढ़कर 13.64 करोड़ हो गया है। (ii) सन् 2017-18 में 243 पदों का सृजन किया गया है जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
च.	क्या यह सत्य है कि क्षमता से अधिक बच्चों की अन्यत्र रहने की व्यवस्था की जा रही है ?	जी हाँ।
छ.	यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर ?	लामपुर में विशेष गृह बनना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त दल्लूपुरा और उस्मानपुर में विशेष गृह निर्माणाधीन है।
ज.	यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जाएगी	व्यवस्था पूरी करने की प्रक्रिया जारी है। लामपुर में विशेषगृह करीब 600 सवासियों के लिए एक वर्ष की अनुमानित अवधि में कार्यान्वित करने की योजना विचाराधीन है।

Dr. Prakash  
Sr. Superintendent (Sub.)  
Deptt. of Social Welfare  
Govt. of NCT of Delhi  
Public Complex, Delhi Gate

<p>झ.</p>	<p>जहाँ इन्हें स्थानांतरित किया जाना है क्या वहाँ वह अतिरिक्त बच्चों को रखने कि व्यवस्था कर दी गयी है ? और</p>	<p>उपरलिखित निर्माणधीन व विचाराधीन विशेष गृहों में बच्चों व व्यस्कों के रहने की व्यवस्था की जा रही है</p>
<p>ज</p>	<p>क्या कारण है कि क्षमता से अधिक बच्चों के रहने कि अब तक अन्यत्र व्यवस्था नहीं हो पाई</p>	<p>यह सत्य नहीं है कि व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्षमता से अधिक बच्चों और व्यस्कों को अन्यत्र ठहराने/रखने कि जो व्यवस्था अब तक की गई है उसका विवरण निम्नलिखित है:-</p> <p>(i) आशा दीप होम, नरेला जिसमें 100 वयस्क पुरुषों को रखने कि क्षमता है</p> <p>(ii) आशा ज्योति होम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरी नगर, दिल्ली जिसमें 60 वयस्क महिलाओं को रखने कि क्षमता है। इसके अतिरिक्त 60 और संवासियों को रखने की क्षमता का प्रावधान किया गया है। जिनमें पर्याप्त स्टाफ के आने पर संवासियों को रखा जाएगा।</p> <p>(iii) क्षमता से अधिक बच्चों व व्यस्कों के रहने के लिए आशा किरण परिसर में अतिरिक्त <b>dormitory</b> बनाई जा रही है जिसमें 80 संवासियों को रखा जा सकता है।</p> <p>संख्या अधिक होने का कारण यह है कि न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति समय-समय पर अन्य मंद बुद्धि बच्चों एवं व्यस्कों को भेजते रहते हैं। लामपुर में विचाराधीन विशेषग्रह की क्षमता 600 संवासियों की होगी जिससे यह अनुमानित किया जा रहा है कि आशा किरण परिसर में वर्तमान की क्षमता से अधिक संवासियों के निवास की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी। इसके अतिरिक्त दल्लूपुरा और उरमानपूर में बनाए जा रहे विशेषग्रह और अधिक संवासियों को सेवा प्रदान करेंगे।</p>

(E. शर्मा)

Sr. Superintendent (Disab.)  
 Dept. of Social Welfare  
 Govt. of NCT of Delhi  
 GLNS Complex, Delhi Gate  
 New Delhi-110002